कार्यालय जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः 1235/जे0ए0/2021–22 दिनांक 21 अगस्त 2021

विषयः– कोविड–19 के दृष्टिगत कतिपय गतिबिधियाँ अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

1–पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर।
2–समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद सिद्धार्थनगर।
3–समस्त क्षेत्राधिकारी, जनपद सिद्धार्थनगर।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन गृह (गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र संख्या–1483/2021–सीएक्स–3 दिनांक 20.08.2021 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गृह गोपन अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1054/2021–सीएक्स–3 दिनांक 19.06.2021 तथा आदेश सं0–1193/2021–सीएक्स–3, दिनांक 11.07.2021 और आदेश संख्या–1416/2021–सीएक्स–3 दिनांक 11.08.2021 द्वारा समय–समय प्रदेश के समस्त जनपदों मे उसमें उल्लिखित शर्तो के अधीन सोमवार से शनिवार तक **(रविवार साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा)** प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक गतिविधियाँ अनुमन्य की गयी है।

इस संबंध में शासन द्वारा सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19.06.2021, दिनांक 11.07.2021 तथा दिनांक 11.08.2021 में उल्लिखित शर्तो के अधीन कतिपय गतिबिधियाँ अनुमन्य किये जाने के दिनों में परिवर्तित करते हुए दिनांक 22.08.2021 दिन रविवार से रविवार की बन्दी समाप्त की जाती है एवं अब प्रत्येक सोमवार से रविवार तक प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियाँ अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10.00 बजे से प्रात 06.00 बजे तक लागू रहेगा। प्रत्येक बाजार की पूर्व में निर्धारित साप्ताहिक बन्दी यथावत लागू रहेगी।

उक्त के अतिरिक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0–1054/2021–सीएक्स–3 दिनांक 19.06.2021 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत रहेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

21/8/2021
(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः–1235/तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सिद्धार्थनगर।
4. समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष जनपद सिद्धार्थनगर।
5. नोडल अधिकारी कोरोना,जनपद सिद्धार्थनगर।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद सिद्धार्थनगर।
8. जिला सूचना अधिकारी,(विज्ञान) सिद्धार्थनगर।
9. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।